सं0-21/500-1/62-2-2014-2/3(9)/2013

प्रेषक,

एच0एस0 चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 25 मार्च2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-01-2014 से पूर्व प्रथम त्रैमास में निर्गत धनराशि रू0-150;00 लाख के सापेक्ष लैप्स धनराशि रू0-52,81,312.00 की साख-सीमा जारी किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-311/ल0सिं0/बजट-सीसीएल/2013-14, दिनांक 13-02-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के पत्र सं0-385/ल0सिं0/बजट सीसीएल/2013-14, दिनांक 04 जून,2013 द्वारा अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-सामुदायिक ब्लास्टवेल का निर्माण(नाबार्ड पोषित)-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रथम त्रैमास हेतु रू0-150.00 लाख की साख सीमा निर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष रू0-52,81,312.00 की साख सीमा का उपयोग प्रथम त्रैमास में न हो पाने के कारण व्यपगत (लैप्स) हो गयी। अत: उक्त व्यपगत साख सीमा रू0-52,81,312;00)रूपया बावन लाख इक्यासी हजार तीन सौ बाहर मात्र) की साख सीमा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्त लेखा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-46/10-2000-24(2)/98, दिनांक 21-02-2000 के प्रस्तर-2(4) के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-02-2000 की शेष शर्ते तथा प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) सी0सी0एल0 का अन्तरण डिपाजिट क्रेडिट लिमिट)डी0सी0एल0) में किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) जिस प्रयोजन के लिये सी0सी0एल0 जारी की जायेगी उसी मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी।

(4) सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर किसी बैक/डाकघर खाता, डिपाजिट खाता आदि में नही जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत साख सीमा की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होगी।

(6) प्रश्नगत साख सीमा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक दशा में सी0सी0एल0 दिनांक 25-3-2014 के पूर्व निर्गत कर दिया जाय ताकि कोषागारों की ई-पैमेन्ट व्यवस्था के कारण राजकीय लेनदेन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आदर्श आचार संहिता का उल्लधंन न होने पाये।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या-यू0ओ0ए2-75/दस-2014, दिनांक 21-3-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/

(एच0एस0 चतुर्वेदी)

विशेष सचिव।

<u>सं0-500-1(1)/62-2-2014, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली ।

4- निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त लेखा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in